भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3854
दिनांक 11 अगस्त, 2026 / 20 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

न्यायालयिक विज्ञान संस्थान

3854. श्री दिलीप शइकीया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में उक्त संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) सरकार ने वर्ष 2020 में संसद के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की अध्ययन और अनुसंधान को सुकर बनाने और उनका संप्रवर्तन करने तथा अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान अध्ययन, विधि, अपराध-विज्ञान तथा अन्य सहबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के साथ सहयोजन से न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कर्ष प्राप्त करने हेतु, एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापना की है।

(ख) गांधीनगर (गुजरात) और दिल्ली में एनएफएसयू के प्रारंभिक परिसरों के अलावा, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक), गुवाहाटी (असम), नागपुर (महाराष्ट्र), खोरधा (ओडिशा), रायपुर (छत्तीसगढ़), चेंगलपट्टू (तमिलनाडु), राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में एनएफएसयू के 14 अतिरिक्त परिसरों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। एनएफएसयू ने इंफाल (मणिपुर) और पुणे (महाराष्ट्र) में प्रशिक्षण अकादमी भी स्थापित की है।
